

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय छाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को 30-9 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4021	डी आई कॉलेज ऑफ फार्मसी, काशी, इलाहाबाद।	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा नियंत्रित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इर्दगिर्द पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उक्तके अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर

15/9

हासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले हासन/श्री प्रभाती हार्गे और सदनसार कार्यवाही किया अल्प आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा दिये गए 2020-21 हेतु पीर का पुनर्निर्धारण किया जाता है, वी पीर की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (प्रकार) प्राथमिक शिक्षा प्रतिष्ठानों तथा उच्च शिक्षाओं, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में तयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जनांकित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के लिए यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरीक्षण प्राप्त करने के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (03आई/सीटीआई/पीएनआई) से प्राथमिक मात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनव्यवस्था/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विनियम, विनियमों, कार्यवाही, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ दिल्ली में इन फार्मों को प्राप्त करने की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में समस्त आवश्यकतयुक्त संस्था का लेना और विधिक रूप से दिल्ली की कार्यवाही के लिए संस्था तय्य करवायेगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, तयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कार्य हेतु तय्य किया जाता है तथा समय-समय पर संस्था में या, आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्यवाही निर्गत किया जाता है एवं संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली में इन फार्मों को प्राप्त करने वाली संस्थाओं को तयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कागजात प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयिक) के माध्यम से अस्वास्थ्य स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा, स्टाफ, समय-समय उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क आदि का आवाजाना सुलभ एवं सार्वजनिक उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक लेखन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक मापदंड सुनिश्चित करने होंगे।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बताने वाले हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त सुनिश्चित, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का बताने संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के समाप्ति में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था परीक्षा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुसामन्वयक कार्यवाही की जाएगी।

(सद) आर.के. सिंह
सचिव

पुस्तक- परिषद/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

तारीख: 18-09-2020

प्रतिष्ठान-प्रधानाचार्य/निदेशक, श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मसी, चण्डिका, हरियाणा, प्रयागराज, इलाहाबाद।

(सद) आर.के. सिंह
सचिव

/2021/3537

09/08/2021

2021-22

0 0

-08/08/2021

2021-22

2021-22

2021-22

0 0

: 4061-SHRI SAI COLLEGE OF PHARMACY,UPARDAHA,HANDIA,PRAYAGRAJ,ALLAHABAD-221503		
0 0	0 0 0 0 0 / 0 0 0	2021-22
	2021-22	
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60

✓ 0 0 0 0 0 / 0 0 0

✓ 1962 1992

-2016

0 0 30150.00/-

0- 45000.00/-



0 0 0 0 0 0 0 0 0




x x

x x

()

SHRI SAI COLLEGE OF
PHARMACY,UPARDAHA,HANDIA,PRAYAGRAJ,ALLAHABAD-221503

()



.	.		
.		o o	o o



